न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 26/2018

1. मिठ्ठनलाल पुत्र श्री अन्ना जाति लोहार निवासी ग्राम मोयणा तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

––––––––प्रार्थी

ब ना म

1. हेमा पुत्र श्री माना जाति भांबी निवासी ग्राम मोयणा तहसील मसूदा जिला अजमेर ।
2. काना पुत्र श्री मंगला जाति नाई निवासी ग्राम मोयणा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
3. धन्ना पुत्र श्री मंगला जाति नाई निवासी ग्राम मोयणा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
4. बाबू पुत्र श्री मंगला जाति नाई निवासी ग्राम मोयणा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
5. लक्ष्मण पुत्र श्री रामदेव जाति नाई निवासी ग्राम मोयणा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
6. प्रहलादसिंह पुत्र श्री छगनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम मोयणा तहसील मसूदा ।
7. मंगलसिंह पुत्र श्री छगनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम मोयणा तहसील मसूदा ।
8. सम्पतसिंह पुत्र श्री छगनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम मोयणा तहसील मसूदा ।
9. सावरसिंह पुत्र श्री छगनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम मोयणा तहसील मसूदा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक श्रीमान तहसीलदार महोदय, मसूदा, जिला अजमेर।

–––अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश   दिनांकः 03.03.2021

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा मोयणा पटवार क्षेत्र मोयणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खसरा संख्या 769 रकबा 01–10–00, 785 रकबा 05–19–10, बीघा भूमिया प्रार्थी की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी की उक्त आराजीयाज की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमि पर तहसीलदार महोदय मसूदा द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकंन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जाकर [illegible] आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:16:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज [illegible] होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अ[illegible] तरफा कार्यवाही अ[illegible] लाई गई ।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

................लगातार

मिठ्ठनलाल बनाम हेमा व अन्य
प्रकरण संख्या 26/2018

बाद अवलोकन पाया कि मौजा मोयणा पटवार क्षेत्र मोयणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खसरा संख्या 769 रकबा 01–10–00, 785 रकबा 05–19–10, बीघा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है।

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा मोयणा पटवार क्षेत्र मोयणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खसरा संख्या 769 रकबा 01–10–00, 785 रकबा 05–19–10, बीघा भूमिंया का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्धारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:16:39 IST
Reason: SelfAttested